

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1849 / 2017

दिनांक :03.10.2017

सुश्री दीपा शर्मा(RJ0716), विशेष अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी प्रकरण) जयपुर महानगर को दिनांक 04.10.2017 से 06.10.2017 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री शर्मा की अनुपस्थिति में अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सा0 दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट(पीसीपीएनडीटी प्रकरण) जयपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

3.10.17
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/86/2011/ 10043

दिनांक : 03.10.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 8071 दिनांक 23.09.2017 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री दीपा शर्मा(RJ0716), विशेष अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी प्रकरण) जयपुर महानगर ।
4. विशेष अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट(पीसीपीएनडीटी प्रकरण) जयपुर महानगर ।
5. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट(सा0 दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर ।

3.10.17
सहायक रजिस्ट्रार